ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	किया। जिसकी नकल प्रति प्रार्थी वकील को दी गयी। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/8/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला–जोधपुर
16/8/2022	पत्रावली पेश हुयी वकलाय उपस्थित। अप्रार्थी वकील बहस हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 23/8/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला–जोधपुर
23/8/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 30/8/2022 को पेश हो।
30/8/2022	पत्रावली पेश हुई। आज ~~पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त / अवकाश पर होने से~~ वकीलों द्वारा सामूहिक कार्य बहिष्कार पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 31/8/2022 को पेश हो।
31/8/2022	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकारान अधिवक्ताओं को [illegible] प्रार्थना-पत्र धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर बहस सुनी गयी। निर्णय पृथक से। उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड, जोधपुर

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER ....
सी.एन.आर संख्या

...er of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

ote ance rde ी पा ी टि	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
1	2	3
	लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार हकिर नम्बर से कम एवं दाखिल दफ्तर हो। (signature) उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला–जोधपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–73 / 2022

प्रार्थी :–

1. हड़मानराम पुत्र गिरधारीलाल जाति ब्राहमण निवासी मानसागर तहसील बावड़ी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. नरसिंगराम पुत्र हीराराम
2. बाबुलाल पुत्र हीराराम
3. मोहनराम पुत्र हीराराम
4. हड़मानराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी मानसागर, हाल निवासी डॉवरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
5. श्रीमान् तहसीलदार बावड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णयः–

दिनांकः–31.08.2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त एवं बन्ट की स्वतन्त्र तरमीम शुदा कृषि भूमि ग्राम मानसागर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 947 रकबा 2.8881 हैक्टयर भूमि आयी हुई है। जिसको वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया जाएगा। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के कब्जे काश्त मालिकाना हक की कृषि भूमि प्रार्थी के पड़ौस में स्थित है। जिसके खसरा संख्या 948 रकबा 3.8994 हैक्टयर भूमि आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि आपस में एक–दूसरे खसरे के चिपते ही माठो मांठ स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के खसरा संख्या 947 के भू–भाग पर अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि की तरफ की सीमाओं को आगे पीछे करके खुर्द बुर्द कर दी इसलिए प्रार्थी ने नियमानुसार सीमांकन करवाया जिस पर वाद ग्रस्त भूमि की सीमा [illegible] हुआ तथा चिन्हन कायम किये तथा सीमा पर पत्थर [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] बाधा व रूकावट पैदा की इस पर प्रार्थी ने माफिक पैमाईश रिपोर्ट अनुसार [illegible] कब्जा कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 947 की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested

पर अतिक्रमण करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हल्का आर. आई. व पटवारी को सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमावें । साथ ही एस.एच.ओ खेड़ापा को वक्त पत्थरगढ़ी कार्य सम्पादन हेतु पुलिस ईमदाद हाजिर रखने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को नोटिस जरिये रजि. एडी से जारी किए गए। प्रार्थी वकील ने रजि. एडी रशीदे पेश की । नियत तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण सं 1 से 4 की और से अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी ने वकालत नाम प्रस्तुत किया । तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ । जो शामिल मिसल किया गया । वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को पदवार खण्डन कर निवेदन किया कि प्रार्थना का पद संख्या 1 राजस्व रेकर्ड पर आधारित होने से सही है। तथा पद संख्या 2 में गलत होने से अस्वीकार कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 948 के चारों तरफ पुरानी मेड़ बन्दी कायम की हुई है। तथा पत्थरों की पट्टीयों रोपकर कांटों के तार एवं तारबन्दी की हुई है। मेड़बन्दी के सहारे–सहारे पुराने वृक्ष खड़े है। अप्रार्थीगणों एवं प्रार्थी के मध्य आज दिन तक कभी कोई माठ कणे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ न ही खेत की सीमा के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप मनगंढत होने से गलत है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 948 का अधिकृत रूप से बिना माप करवाये उसके क्षेत्रफल को लेकर जो अंकन किया गया है। निराधार है। अप्रार्थीगण ने वक्त तारबंदी प्रार्थी की उपस्थित में निष्पादित की। तथा किसी प्रकार से मौके पर आपस में कोई बोल चाल नहीं हुई। प्रार्थी जिस भू–भाग पर वर्तमान में भौतिक रूप से काबिज काश्त है। उससे हटकर गैर–कानूनी रूप से नया भौतिक कब्जा प्राप्त करना चाहता है। जो कानून गलत है। पद संख्या 3 मनगंढत होने से गलत है। अप्रार्थीगण का परम्परा से चारों तरफ धोरा पाली कायम है। तथा उसी अनुसार भौतिक कब्जा है। साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष कब्जा के अभाव में नहीं दिलाया जा सकता है। यदि प्रार्थी को अप्रार्थी से जमीन का कब्जा प्राप्त करना तो प्रार्थी को बेदखली की कार्यवाही करने पर ही उक्त अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के श्रेणी में नहीं आकर उक्त मामला धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिभाषा में आता है। जो उक्त अनुसार प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रार्थी ने अपने खेत खसरा संख्या 947 के चारो तरफ के खातेदार खसरा संख्या 949, 950, 946, 943 को पक्षकार नहीं बनाया जबकि पत्थरगढ़ी के प्रकरण में खेत की चारों तरफ की सीमाओं का बिना माप–चौक किया [illegible] की तरमीम अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थी ने सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया इसलिए [illegible] आवश्यक पक्षकारों के अभाव में उक्त प्रार्थना खारिज फरमाया जावें। खसरा [illegible] का बिना

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested

माप–चौक किये उसके रकबे के बारे में अंकन करना गैर–कानूनी है। एवं पैमाईश नियमों के विरूद्ध है। अप्रार्थीगणों के खाते में दर्ज रकबे के अनुसार ही अप्रार्थीगणों का कब्जा है। इसलिए बिना माप किसी खातेदार के विरूद्ध उसके रकबे को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए कब्जे काश्त के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी उपबद्धों के विपरित होने से खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 948 पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगणों का परम्परा से कब्जा काश्त है। प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 947 खरीदशुदा कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थी ने जिस खातेदार उक्त भूमि खरीद की तथा जितना भौतिक कब्जा प्राप्त किया उस पर ही प्रार्थी कब्जा काश्त है। जिस भूमि को प्रार्थी ने भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त ही नहीं किया तो उस भूमि के लिए प्रार्थी को किसी प्रकार का मांग करना गैर कानूनी होने से खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व नियमों के विपरीत जाकर प्रस्तुत कर अप्रार्थीगणों को तंग व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत कर समय एवं धन का नुकसान किया जिसका हर्जा–खर्चा प्रार्थी से दिलाया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चाहे गये अनुतोष विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से पोषणीय नहीं है। जो खारिज होने योग्य है। इस प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रार्थना मय अतिरिक्त कथन प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज करने का निवेदन किया ।

उभय पक्षकारान् अधिवक्ताओं ने मूल प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 947 की हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार माफिक पैमाईश पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया जाने का निवेदन किया । जिस पर वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी वकील के तथ्यों का खंडन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने एवं मौके पर माफिक पैमाईश रिपोर्ट भौतिक कब्जे के अभाव में उक्त प्रार्थना खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

उभय पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। तथा बहस पर मनन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसदेह जाहिर होती है कि प्रार्थी का पैमाईश रिपोर्ट अनुसार भौतिक रूप कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव में किसी खातेदार का उक्त प्रार्थना [illegible] बेदखली की कार्यवाही निष्पादित नहीं की जा सकती। अप्रार्थीगण की भूमि [illegible] कृषि भूमि है। जिसके कब्जे काश्त के संबंध में प्रार्थी वकील द्वारा [illegible] कोई खंडन नहीं किया गया है। प्रार्थी की भूमि खरीद शुदा कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी ने अपने सभी पड़ौसी खातेदारान् को पक्षकार के रूप में संयाजित नहीं [illegible]या जाना अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

आप में संदेह उत्पन्न करता है। प्रार्थी का स्वयं का पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 937 में किंचित कब्जा प्रतीत हो रहा है। जिसको प्रार्थी ने पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:49:00 IST
Reason: SelfAttested